Phone : 240591, 244466
Gram : Agrivarsity

(9)

गोपनीय

C. S. Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur – 208 002
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर – २०८००२

प्रेषक,

एस0पी0 सिन्हा,
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव,
प्रबन्ध मण्डल,
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, कानपुर ।

Date.....19

सेवा में,

कुलाधिपति के सचिव,
राज्यपाल सचिवालय,
राज भवन, लखनऊ ।

संख्या: सीएसयूपी/सी-673/बोर्ड-75 दिनांक: फरवरी 2, 1990

महोदय,

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 75वीं बैठक दिनांक फरवरी 1, 1990 की कार्यवाही की प्रतिलिपि माननीय कुलाधिपति महादय के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है । प्रबन्ध मण्डल की यह बैठक कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 10 (1) के अनुसार प्रबन्ध मण्डल का सदस्य नामित करने के सम्बन्ध में बुलायी गयी थी ।

संलग्नक–उपरोक्त ।

भवदीय,

(एस0पी0सिन्हा) 2/2
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

(8)

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 75वीं बैठक दिनांक 1-2-1990 की कार्यवाही ।

विचारार्थ मद : चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की संस्तुति करने के लिये समिति में प्रबन्ध मण्डल का प्रतिनिधि नामित करने के प्रस्ताव पर विचार ।

उपस्थित:

1- श्री पी0सी0 शर्मा सचिव शिक्षा	- अध्यक्ष
2- श्री मुकुल सनवाल, सचिव कृषि ।	- सदस्य
3- श्री नवीन चन्द्र बाजपेयी, सचिव वित्त	- सदस्य
4- डा0 ऋषि राम शर्मा, कृषि निदेशक,उ0प्र0 ।	- सदस्य
5- डा0 राम जनम सिंह, निदेशक, पशुपालन विभाग ।	- सदस्य
6- श्री अवध राम सचान	- सदस्य
7- डा0(श्रीमती) कान्ती देवी	- सदस्य
8- श्री एस0पी0 सिन्हा अर्थ नियन्त्रक	- सचिव

चूंकि यह बैठक बिना वर्तमान कुलपति की उपस्थित के होनी थी, अत: उपस्थित सदस्यों ने अध्यक्ष के रूप में सर्व सम्मति से श्री पी0सी0शर्मा, सचिव शिक्षा को चुना ।

बैठक की कार्यवाही आरम्भ होने पर सचिव ने श्री ओ0पी0नेमानी, सदस्य प्रबन्ध परिषद से प्राप्त पत्र जो नीचे उध्दरित है, अध्यक्ष की अनुमति से समिति के सम्मुख रखा ।

प्रेषक,

ओ0पी0नेमानी,
प्रबन्ध निदेशक,स्वदेशी एग्रोमशीनस
प्रा0लि0, 79-ए,
उद्योग नगर, कानपुर ।

सेवा में,

अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव,
प्रबन्ध मण्डल,
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय,कानपुर ।

विषय: प्रबन्ध मण्डल की 75वीं बैठक दिनांक 01-02-1990 अपरान्ह 2.30 बजे ।

महोदय,

आप के पत्रांक-सीएसयूपी/सी-646/बोर्ड-75 दिनांक जनवरी 20,1990

के संदर्भ में सूचित करना है कि मैं चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की संस्तुति करने के लिये समिति में प्रबन्ध मण्डल के प्रतिनिधि के लिये श्री अवध राम सचान को नामित एवं संस्तुति करता हूँ ।

भवदीय,

ह0/-
(ओ0पी0मानी)
सदस्य
प्रबन्ध मण्डल
च0शे0आ0कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व-
विद्यालय,कानपुर-2

डा0 ऋषि राम शर्मा ने कहा कि प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत मद परिचालन से नहीं विचार किया जाना था, अतः पत्र द्वारा इस सम्बन्ध में कोई मत देने का कोई औचित्य नहीं है । उन्होंने यह भी कहा कि वे श्री मुकुल सनवाल, कृषि सचिव का नाम कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की संस्तुति करने के लिये समिति में प्रबन्ध मण्डल के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तावित करते हैं । श्रीमती कान्ती देवी ने इसका समर्थन किया । अध्यक्ष ने अन्य सदस्यों से चाहा कि यदि कोई और प्रस्ताव हो तो वे दें । तुरन्त कोई प्रस्ताव न होने पर इसे यथावत मान लिया गया और तद्नुरूप कार्यवाही अंकित की जाने लगी ।

तभी वहां उपस्थित सदस्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उनका प्रतिनिधि आदि की चर्चा करने लगे और जब अंकित कार्यवाही सदस्यों को दिखाई गयी तो श्री सचान ने कहा कि श्रीमती कान्ती देवीनेपूरी बात नहीं समझी थी और इसी से उन्होंने जो समर्थन प्रदान किया, उसे उनसे पुनः जांच लिया जाना उचित होगा । उन्होंने अत्यन्त नम्रता पूर्वक यह भी कहा कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिनियम देख लिया जाना और अच्छा होगा जिसमें कुलपति हेतु अभ्यर्थियों के चयन हेतु एक सदस्य प्रबन्ध परिषद को नामित करना है । और दो सदस्य शासन को नियुक्त करने है । उन्होंने कहा सभी सदस्य शासन के अधिकारी होने से यह अधिनियम की निहित भावना के प्रतिकूल होगा ।

इस पर सदस्यों की मिश्रित प्रतिक्रिया हुयी कुछ ने कहा कि सब तय हो चुका है और श्रीमती कान्ती देवी ने तो अपना स्पष्ट समर्थन दिया था । इस पर श्रीमती कान्ती देवी ने कहा कि वे बीच-बीच में अंग्रेजी के अंश पूरी तरह समझ नहीं सकीं थीं और उनको ऐसा लगा कि श्री सचान

--3

का नाम तो हो ही गया, कृषि अनुसंधान परिषद की चर्चा में श्री सनवाल का नाम था ।

अनिश्चितता की स्थिति को दूर करने के लिये एवं सभी सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुये अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जिसने जो कुछ कहा था, लिख कर दे दें । इस पर श्री ऋषि राम शर्मा, सदस्य ने अपना कथन निम्न शब्दों में अंकित कराया । उन्होंने कहा -

" श्री नेमानी का प्रस्ताव परिचालन से मांगा गया प्रस्ताव नहीं था, अत: यह उचित नहीं था, और
मैं श्री मुकुल सनवाल, कृषि सचिव का नाम कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की संस्तुति करने के लिये समिति में प्रबन्ध मण्डल के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तावित करता हूँ ।"

अध्यक्ष के मांगने पर श्रीमती कान्ती देवी ने अपना मन्तव्य निम्नवत अंकित कराया:-

"मीटिंग कार्यवाही प्रारम्भ होने पर सर्व प्रथम श्री अवध राम सचान के नाम का प्रस्ताव नेमानी के पत्र द्वारा वितरित किया गया । मैंने यह समझा कि उसको सभी ने स्वीकृत कर लिया एवं ऐक्ट में एक मेम्बर आई०सी०ए०आर० का और लेने के लिये श्री ऋषि राम जी ने प्रस्ताव किया है और मैंने उसका समर्थन किया ।"

इस पर अध्यक्ष महोदय ने श्री अवध राम सचान से अपना मत अंकित करने को कहा । उन्होंने अपना मत निम्नवत अंकित कराया:-

" श्री अवध राम सचान - "मै श्री मुकुल सनवाल, कृषि स[illegible] के नाम का विरोध करता हूँ क्योंकि यह विश्वविद्यालय अधिनियमों में इस सम्बन्ध में अंकित भाषा की भावना [illegible] अनुरूप न होगा और माननीय अध्यक्ष महोदय से साग्रह [illegible] करता हूँ कि वे इस बैठक के सम्बन्ध में बैठक फिर बु[illegible] विचार करें ।"

अध्यक्ष महोदय ने इस पर अधिनियम की धारा[illegible] जो निम्नवत है:-

11(1) The (Kulpati); shall be a [illegible] of the University. The first (Kulpat[illegible] ment of the Uttar Pradesh Krishi Vish[illegible] (Sanshodhan) Adhyadesh, 1966, shall be [illegible] (KuladhiPati). The subsequent (Kulpati) [illegible]

by the (Kuladhipati) out of a panel of three persons nominated by a committee consisting of a representative of the Board chosen in the prescribed menner and two other members appointed by the State Government.

यह तय पाया गया कि इसकी भाषा में ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि श्री सपान ने कहा । जहां तक भावना का प्रश्न है, हम भाषा को ही देख कर निर्णय कर सकते हैं ।

मत पर सर्व सम्मति से निर्णय न हो पाने के कारण इस पर मतदान की आवश्यकता हो गयी । इस पर श्री सपान ने कहा कि यह भी अधिनियम की भावना के प्रतिकूल होगा क्योंकि ऐक्ट में मतदान का मार्ग दर्शन नहीं है । कुछ सदस्यों ने कहा कि जब भी किसी बैठक में सर्वसम्मत निर्णय नहीं हो पाता है तो मतदान एक सामान्य रास्ता है ।

श्री ऋषि राम शर्मा, कृषि निदेशक/सदस्य ने यह भी कहा कि इस परिषद की बैठकों में ही पहले कई बार मतदान हुयी है, अतः अध्यक्ष महोदय मतदान हेतु निर्णय देने की कृपा करें ।

इस पर मतदान द्वारा माननीय सदस्यों का अभिमत जानने हेतु दो प्रारूप निम्नवत तैयार कर मतदान सम्पन्न कराया जाना निश्चित हुआ । अध्यक्ष महोदय ने सदस्य के रूप में सभी का सम्मान करते हुये अपना मत नहीं अंकित कराया ।

प्रारूप-1

प्रस्तावक

श्री ऋषि राम शर्मा, कृषि निदेशक ने च०शे०आ०कृ० एवं प्रौ० वि०वि० के प्रबन्ध मण्डल के प्रतिनिधि के रूप में कुलपति चयन मण्डल के लिये, श्री मुकुल सनवाल, कृषि सचिव का नाम प्रस्तावित किया ।

अनुमोदक - डा० राम जनम सिंह

1- डा० राम जनम सिंह	हाँ	ह०/-
2- श्री अवध राम सपान	नहीं	ह०/-
3- श्रीमती कान्ति द्विवेदी	तटस्थ	ह०/-
4- श्री मुकुल सनवाल		
5- श्री ऋषि राम शर्मा	हाँ	ह०/-
6- श्री नवीन चन्द्र बाजपेयी	हाँ	ह०/-

---5

प्रस्ताव-2

प्रस्तावक -

श्री अवध राम सचान ने श्री ऋषि राम शर्मा के उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें श्री मुकुल सनवाल, कृषि सचिव के नाम का प्रस्ताव था ।

1- डा0 राम जनम सिंह	नहीं	ह0/-
2- श्री अवध राम सचान	हाँ	ह0/-
3- श्रीमती कान्ती द्विवेदी	तटस्थ	ह0/-
4- श्री मुकुल सनवाल		
5- श्री ऋषि राम शर्मा	नहीं	ह0/-
6- श्री नवीन चन्द्र बाजपेयी	नहीं	ह0/-

इस प्रकार मतदान द्वारा बहुमत से श्री मुकुल सनवाल, कृषि सचिव कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की संस्तुति करने के लिये समिति में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 11(1) के अनुसार, प्रबन्ध मण्डल के प्रतिनिधि के रूप में नामित किये गये ।

अध्यक्ष को धन्यवाद के पश्चात बैठक समाप्त हुयी ।

अनुमोदित

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा विभाग तथा
अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल

(शैलेन्द्र प्रताप सिन्हा)
कम्पट्रोलर एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल